पर्यावरणीय पलायन

प्रश्न पत्र:, । (भारतीय और विश्व भूगोल)

विषय, टैग: पर्यावरण क्षरण, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन, विस्थापन और लोगों का पलायन।

यूपीएससी की प्राथमिक और मुख्य परीक्षा में लेख की प्रासंगिकता: इस लेख कुछ शब्दों जो वर्गीकृत और और उनमे विभिदता बता कर उनकी व्यापक व्याख्या भी कर देता है जैसे पर्यावरण प्रवास या जलवायु परिवर्तन प्रेरित प्रवास, जैसी पारिस्थितिकी या पर्यावरण शरणार्थियों, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रवासियों जैसी अवधारणों को अलग अलग रूप में देखा जाता है। पर्यावरण क्षरण या परिवर्तन की वजह से पलायन करने के लिए संबंधित परिभाषा की कमी तथा पलायन के अन्य पर्यावरणीय कारकों को अलग-थलग करने इन परिभाषाओ को अभी तक व्यवस्थित नहीं किया जा सका है। एक अन्य प्रमुख बाधा स्वैच्छिक प्रवास बनाम मजबूरन प्रवास के कारण उत्पन्न हुई भ्रम की स्थिति से बनी हुई है। क्या पर्यावरण पलायन स्वाभाविक जबरन विस्थापन का एक रूप है? क्या यह स्वैच्छिक स्थानांतरण का रूप ले सकता है? पर्यावरण व्यवधान के बाद सरकार ने पुनर्वास योजनाओं का क्या मूल्यांकन किया जाना चाहिए? क्या स्वैच्छिक पलायन या जबरन कराये गए पलायन में भेद किये जाने की आवश्यकता भी है? एक यूपीएससी अभियार्थी से इन प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा की जाती है।

पर्यावरण प्रवासी कौन हैं?

- यह वह लोग हैं, जो स्थानीय पर्यावरण में अचानक या लंबी अवधि के परिवर्तन के कारण उनके घर और क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर रहते हैं ऐसे लोग अपनी अच्छी या सुरक्षित आजीविका, को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करते है। यह सूखा में वृद्धि, बंजर भूमि , समुद्र का स्तर बढ़ने, और अनियिमित मानसून और मौसमी परिवर्तन को ध्यान में रख कर ऐसा करते है।
- पर्यावरण प्रवासियों अपने देश से किसी अन्य देश की ओर पलायन या वे आंतरिक रूप से अपने स्वयं के देश में ही किसी अन्य भाग में पालायन कर देते है. हालांकि "पर्यावरण प्रवासी",शब्द ऐसे कई अन्य शब्दों के साथ रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा है जैसे पर्यावरण शरणार्थी या जलवायु शरणार्थी , हालांकि इन दोनों शब्दों के बीच अभी विभेद नहीं किया गया है । 'पर्यावरण पलायन' की स्पष्ट परिभाषा तैयार करने में समस्याओं के बावजूद, इस तरह के एक अवधारणा को नीति निर्माताओं, पर्यावरण और सामाजिक वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के संभावित सामाजिक प्रभाव को धारण करने का प्रयास के दौरान 2000 के दशक सामान्य पर्यावरण क्षरण के रूप में भी इसे पहचान गया है।

अब सवाल यह उठता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून में पर्यावरण आपदाओं के कारण पलायन कर रहे लोगों 'शरणार्थी' का दर्जा दिया जाना चाहिए:

- आजकल बड़े स्तर पर लोग विश्व स्तर पर सूखा, अकाल, समुद्र का स्तर बढ़ जाने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जलवायु परिवर्तन की वजह के कारण विस्थापन का सामना कर रहे हैं । प्रवासियों का यह वर्ग लोकप्रिय साहित्य में 'पर्यावरण शरणार्थियों' के रूप में चिह्नित किया गया है।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow

- आंतरिक विस्थापन मॉनिटरिंग सेंटर के अनुसार, आंतरिक विस्थापन की प्रवृत्तियों की समीक्षा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संघटन द्वारा किये गए, एक अनुमान के अनुसार 2008 के बाद से 24 लाख लोग प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस संकट का सामना कर रहे है । यह आपदा इस सदी के अंत तक दुनिया भर में आधे से ज्यादा लोगों को विस्थापित कर चुकी होगी।
- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन (1951) एक विशेष सामाजिक समूह या राजनीतिक दवाब से भिन्न जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, संबद्धता जैसे मुद्दों से भी इतर इन लोगों को कुछ अधिकार देता है। यह अधिकार गैर-भेदभाव, गैर दंडनीय अपराध, के सिद्धांतों का पालन करने के हकदार के रूप में इन्हें मानता हैं। हालांकि, पलायन प्रभावित लोगों को पर्यावरण आपदाओं के कारण अंतरराष्ट्रीय कानून में ' शरणार्थी 'का दर्जा नहीं दिया गया है, पुनर्वास और मुआवजे की किसी भी बुनियादी अधिकार वंचित कर देता है। सितंबर 2015 में, पार्टियों (सीओपी 21) पेरिस में की 21 वीं सम्मेलन द्वारा , न्यूजीलैंड में कथित तौर पर एक व्यक्ति और उसके परिवार शरण देने के मुद्दे पर इनकार कर दिया था।, क्योंकि ऐसी कोई श्रेणी इसके अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं की गयी है।

<u>पेरिस समझौते की राह:</u>

- पेरिस समझौते में पर्यावरण शरणार्थियों की समस्या को संबोधित करने के सीधे रिकार्ड स्थापित करने के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। वार्ता शुरू होने से पहले , कई मांगों के अंतिम समझौते में जलवायु प्रवास से निपटने के तरीके को शामिल करने के लिए की गयी थी।
- इन खतरों में आजीविका और मानव सुरक्षा और पर्यावरण शरणार्थियों या प्रवासियों के लिए जलवायु परिवर्तन से प्रभावित करने के लिए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली तकलीफों को शामिल किया गया है; इस तरह के विस्थापन से निपटने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय पहल करने के लिए तकनीकी और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने पर भी चर्चा की गया है; और उपयुक्त नीतियों को विकसित कर जलवायु परिवर्तन प्रेरित विस्थापन को संबोधित कर क्षति का प्रबंधन कर पर भी विचार किया जा रहा है।
- हालांकि, पेरिस समझौते इन उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रहा है। कुछ अपनी प्रस्तावना में 'प्रवासियों के अधिकारों की ओर इशारा करते के लिए इस समझौते को नाकारा भी बता रहे है, यह इस संकट की गंभीरता को समझने में प्रयासों की विफलता की भी चर्चा कर रहे है।

<u>आगे की राह:</u>

- पेरिस समझौते के लगभग एक वर्ष बाद, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सार्थक कार्रवाई करने के लिए सामूहिक राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शित करने में इसके महत्व को कम आंका नहीं जा सकता है। बहरहाल, यह पर्यावरण शरणार्थियों की बढ़ती आबादी के समाधान में अपनी कमियों को कम नहीं आंकना चाहिए।
- सीओपी 21 में पेरिस समझौते के मसौदे को एक जलवायु परिवर्तन विस्थापन समन्वय सुविधा से पहले इन पर चर्चा की जा चुकी है। यह सुविधा एक संगठित प्रवास और विस्थापित व्यक्तियों की स्थानांतरण, आपातकालीन राहत हासिल करने की योजना को बनाने से सम्बंधित भी है ।

CHANAKYA IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow

- इस तरह की एक समन्वय सुविधा अल्पकालिक समर्थन प्रवासियों को स्थानांतरित करने और उन्हें सुरक्षित क्षेत्रों में पुनर्वास प्रदान करने के लिए भी आवश्यक हैं, एक स्थायी समाधान के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि की रूपरेखा का निर्माण भी आवश्यक है जो 'पर्यावरण शरणार्थियों' और उन्हें अपने प्रदेशों के भीतर समन्वय बनाने और देश के राज्यों के दायित्वों की आवश्यकता को समझाने में भी सहायक है।
- हम पहले से ही एक दुनिया कोदेख रहे है जो राजनीतिक शरणार्थियों के प्रति प्रतिक्रियावादी है । ब्रेक्सिट और डोनाल्ड ट्रम्प के चुनाव के दो घटनाओं है कि आप्रवासियों की दिशा में अंतर्निहित व्यामोह को प्रमाणित करने काफी है। पर्यावरण शरणार्थियों या अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उनकी स्थिति की उपेक्षा कर उन्हें कानूनी बाधाओं में फसा सकती है और उनके भविष्य को खतरे में डाल सकती है।

निष्कर्ष:

1. इस परिदृश्य या तो मौजूदा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन के दायरे का विस्तार कर जलवायु प्रवास को इसमें शामिल करने से बचा जा सकता है, या एक स्वतंत्र संधि ढांचे को व्यापक जलवायु परिवर्तन से प्रेरित होकर तथा पलायन की चुनौतियों के समाधान के द्वारा बनाया जा सकता है। यह भी है, जबकि भारत, अमेरिका, चीन और सभी पेरिस समझौते, की पुष्टि की है वहाँ ग्रीन हाउस गैसों के तीन सबसे बड़े उत्सर्जक बताये जाते है के द्वारा भी इस विषय पर संज्ञान लेना आवश्यक है तथा इसका उल्लेख करना प्रासंगिक है।
2. इस तरह का सचेतता का अभाव एक विडंबना बन जाता है क्योंकि यह तीन देशों की अपनी आबादी के बड़े पैमाने पर विस्थापन, के कारण जलवायु परिवर्तन प्रेरित प्रवास से काफी पीड़ित होने की संभावना जाता रहे हैं। इसलिए, यह इस समस्या का एक अंतरराष्ट्रीय समाधान खोजने से पहले आगामी नुकसान नुकसान का आंकालान करना भी आवश्यक हो जाता है और इसे सामूहिक हित में होना चाहिए।

CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow